अमर उजाला

नई दिल्ली । शुक्रवार, 16 नवंबर 2018

प्रवाह

निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक

स्थापना वर्ष : 1948

नई तकनीक अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती, सब कुछ इसके इस्तेमाल पर निर्भर होता है...

-डेविड वोंग

अमेरिकी लेखक

स्वतंत्र भारत में हमारी सामूहिक चेतना में एक स्थायी जख्म बन चुके सिख विरोधी दंगों से जुड़े मामले में आया फैसला दरअसल इसी बात को सच साबित करता है कि देर से मिला न्याय, न्याय नहीं होता।

इतने वर्षों बाद

वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगों की जांच के लिए तीन साल पहले गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) को एक मामले को अंजाम तक पहुंचाने में सफलता मिली है, जिसके फलस्वरूप निचली अदालत ने दो लोगों को दोषी करार दिया है। यह मामला पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के एक दिन बाद एक नवंबर, 1984 को राजधानी के महिपालपुर इलाके से जुड़ा है, जिसमें भीड़ ने कुछ सिख युवकों पर हिंसक हमला किया था, जिसमें दो युवकों हरदेव सिंह और अवतार सिंह की मौत हो गई थी। सिख विरोधी दंगों से जुड़े मामलों में इतनी राजनीति और लीपापोती हो चुकी है कि किसी को उम्मीद ही नहीं थी कि कभी ये मामले अंजाम तक पहुंचेंगे। चश्मदीदों के बयानों से लेकर न जाने कितनी किताबों में ये बातें दर्ज हैं कि किस तरह से कांग्रेस के अनेक नेताओं ने भीड़ को सिख समुदाय के लोगों पर जानलेवा हमले के लिए उकसाया था। अकेले दिल्ली में पांच सौ से अधिक मामले दर्ज किए गए थे, जिनकी जांच के लिए कई कमेटियां तक बनाई गईं। तीन साल पहले एसआईटी को फिर से सिख विरोधी दंगों की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई, तो उसके सामने भी पहाड़ जैसी चुनौती थी, क्योंकि इतना लंबा वक्त गुजरने के बाद गवाहों को दोबारा तलब करना आसान नहीं था, क्योंकि उनमें से कई विदेश में जा बसे हैं। इसके अलावा जिन जगहों पर दंगे हुए थे, उनका नक्शा भी बदल चुका है, जिससे सबूत जुटाने में भी खासी दिक्कतें थीं। वास्तव में एसआईटी ने तकरीबन साढ़े छह सौ मामलों में से 280 अनसुलझे मामले छांटे और फिर उनमें से भी सिर्फ आठ मामलों को जांच के लायक पाया। यही नहीं, इन आठ में से भी सिर्फ पांच में वह जांच पूरी कर सका है, और महिपालपुर से जुड़ा यह मामला उन्हीं में से एक है। हैरत नहीं होनी चाहिए कि इस घटना के तुरंत बाद दंगों में मारे गए युवकों के परिजनों ने न केवल पुलिस में मामला दर्ज करवाया था, बल्कि रंगनाथ मिश्रा कमेटी के समक्ष हलफनामा भी दिया था, मगर यह मामला 1994 में बंद कर दिया गया था! स्वतंत्र भारत में हमारी सामूहिक चेतना में एक स्थायी जख्म बन चुके इन दंगों से जुड़े इस मामले में आया फैसला दरअसल इसी बात को सच साबित करता है कि देर से मिला न्याय, न्याय नहीं होता।

नौकरियां बदलने की तकनीक

हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-एआई) के युग में जी रहे हैं, जो हमें अत्यधिक प्रसंस्करण शक्ति, भंडारण क्षमता, और जानकारी तक पहुंच प्रदान करता है। प्रौद्योगिकी के विकास ने सबसे पहले हमें कताई का चरखा, फिर बिजली और तीसरे औद्योगिक क्रांति में कंप्यूटर दिया। वर्ष 2016 में वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम ने एआई को 'चौथी औद्योगिक क्रांति' बताया, जिसने हमारे जीने, काम करने और एक दूसरे के साथ संपर्क करने के तरीके को मूल रूप से बदल दिया। हालांकि इसने हमें डाटा स्वामित्व और श्रम संरक्षण जैसी नियामक चुनौतियां भी दी हैं।

खास तौर से स्वचालन (ऑटोमेशन) रोजगार और मजदूरी के स्तर को प्रभावित करता है। प्रौद्योगिकी और रोजगार पर ऑक्सफोर्ड मार्टिन कार्यक्रम के 2013 का एक अध्ययन बताता है कि 2000 से मात्र 0.5 फीसदी नए रोजगार का ही सृजन हुआ है, जो पहले नहीं था। यह जी-7 देशों के 17.3 करोड़ रोजगार के विपरीत है, जो अगले आठ साल में स्वचालन का शिकार हो जाएगा। दुनिया भर में 702 पेशेवरों की जांच के बाद ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर कार्ल फ्रे और माइकल ओसबोर्न का अध्ययन बताता है कि मंझोले कौशल से संबंधित नौकरियां अगले कुछ वर्षों में स्वचालित हो जाएंगी। नतीजतन, वे तर्क देते हैं कि भारत, जिसमें 65 प्रतिशत वैश्विक आईटी विदेशी काम है और 40 प्रतिशत वैश्विक व्यापार प्रसंस्करण का काम है, के पास 2030 तक औपचारिक रोजगार में 69 फीसदी नौकरियां स्वचालित हो जाएंगी। इस संदर्भ में हम वृहत (मैक्रो) और सूक्ष्म (माइक्रो) स्तर पर भारत में ऑटोमेशन के प्रभाव और उभरती श्रम नीतियों के सवालों की जांच करते हैं।

ऑटोमेशन से भारत में भी आने वाले वर्षों में रोजगार का परिदृश्य बदल जाएगा। इससे कार्यबलों में व्यापक बदलाव आएगा।

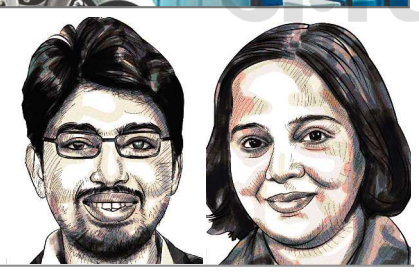

फ्रांसिस कुरियाकोस व दीपा अय्यर

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के अनुसार, भारत में औपचारिक रोजगार का 60 फीसदी क्लैरिकल, सेल्स, सर्विस, कुशल कृषि व्यापार से संबंधित कार्य है, और इन सभी को स्वचालन का खतरा है। इसलिए वृहत स्तर पर स्वचालन का पूरी अर्थव्यवस्था पर और सूक्ष्म स्तर पर श्रमिकों के लिए कार्यस्थल स्तर पर प्रभाव पड़ सकता है। स्वचालन से तीन प्रमुख परिवर्तन होंगे- कौशल मांग में बदलाव, कार्यबल की पुनर्तैनाती में लैंगिक असमानता और कंपनियों का पुनर्गठन।

नतीजतन कुछ नौकरियों में काम और जीवन में संतुलन बेहतर होगा, जबकि कुछ नौकरियां पूरी तरह खत्म हो जाएंगी। मसलन, कॉल सेंटर, रिटेल और प्रशासन से जुड़ी नौकरियां सिमट जाएंगी, जिनमें अभी मुख्य रूप से महिलाएं काम करती हैं। जबकि डाटा क्लीन-अप और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण मुख्य रूप से पुरुषों द्वारा किया जाता है, जिनकी काफी मांग होगी। इससे परिवर्तन का एक लैंगिक पहलू सामने आ रहा है। अंततः स्वचालन और श्रमिकों की पुनर्तैनाती कंपनियों के साझा प्लेटफॉर्म के जरिये होगी, जहां किसी भी स्थान से श्रमिकों की भर्ती की जा सकेगी। यह अल्पावधि में कंपनी और कार्यबल की रणनीति के बीच मतभेद का कारण बनेगा।

माइक्रो स्तर पर ऑटोमेशन कार्य का मतलब बदल देगा। नौकरियों को तेजी से अनियमित कार्यों के सेट के रूप में वर्णित किया जाएगा। स्वतंत्र श्रमिक विशिष्ट मजदूरी दरों के लिए कार्यों का पोर्टफोलियो प्रदर्शन करेंगे। कार्यस्थल पर निरीक्षण के पदानुक्रम को दूरस्थ टीमों के सहयोग और वितरण के जरिये बदल दिया जाएगा। इससे कामगारों में काम करने की इच्छा घटेगी और आपसी संवाद भी कम होगा। नतीजतन न्यूनतम मजदूरी, सामाजिक लाभ, सामूहिक सौदेबाजी जैसी नियोक्ता जिम्मेदारियों में भारी कमी आएगी।

श्रम नीति में तीन प्रमुख क्षेत्र हैं, जिन पर आनेवाले वर्षों में ध्यान देने की जरूरत है-श्रमिकों को कौशलयुक्त बनाना, अल्पावधि में सामाजिक नीति पर पुनर्विचार और लंबी अवधि में केयर इकोनॉमी जैसे नए क्षेत्रों की रोजगार संभावना की पुनः जांच करना। स्वचालन में मौजूदा श्रमिकों को फिर से प्रशिक्षित करना, दूसरों को नए कार्यों में पुनः नियोजित करना और विश्वविद्यालय में पढ़ रहे छात्रों को संभावित श्रमिकों के रूप में नए कौशल से लैस करना शामिल है।

एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए 2017 आईडीसी कॉग्निटिव यूजर एडोप्शन सर्वे बताता है कि 70 प्रतिशत भारतीय कंपनियां एआई का लाभ उठाने के लिए कर्मचारियों के प्रशिक्षण में अतिरिक्त निवेश करने की योजना बना रही हैं। इसके अलावा, 'स्मार्ट' काम और विशिष्ट कौशल की मांग विश्वविद्यालयों को उच्च शिक्षा और प्रशिक्षण को फिर से तैयार करने तथ राज्यों को नौकरी के बाजार में संक्रमण की सुविधा के लिए प्रोत्साहित करेगी।

दूसरा, कामकाजी लोगों की आबादी, सेवानिवृत्ति, और व्यक्तिगत जीवन योजनाओं पर पुनर्विचार करने की तत्काल आवश्यकता है। तीसरा, विनिर्माण और उद्योगों के बाहर नए क्षेत्रों को देखने की तत्काल आवश्यकता है, जिनके पास स्वचालन के युग में भुगतान वाला रोजगार पैदा करने की क्षमता है। नई राष्ट्रीय औद्योगिक नीति (2018) पेश करते हुए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने इसे रेखांकित किया था। केयर इकोनॉमी एक ऐसा महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिसमें रोजगार पैदा करने की अपार क्षमता है, इसकी पुष्टि आईएलओ की रिपोर्ट में भी की गई है। इस रिपोर्ट का अनुमान है कि हर दिन दो घंटे अवैतनिक देखभाल संबंधी कार्य करने वाले लोग दो अरब लोगों के आठ घंटे के बराबर श्रम करते हैं। रिपोर्ट में तर्क दिया गया है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक उद्यमों में बढ़े निवेश के साथ, इस क्षेत्र में 2030 तक 26.9 करोड़ नौकरियां पैदा की जाएंगी। इससे खास तौर पर महिलाओं को फायदा होगा, जो वैश्विक स्तर पर वर्तमान अवैतनिक देखभाल कार्य का दो-तिहाई काम करती हैं।

भारतीय नीति निर्माताओं के सामने कृत्रिम बुद्धिमत्ता दार्शनिक, प्रौद्योगिकीय और नैतिक चुनौतियां पेश करती है। हालांकि, तकनीकी परिवर्तन के इस क्षण में, मानव निर्णय अल्पकालिक कठिनाइयों पर दीर्घकालिक चिंताओं को प्राथमिकता देने की मांग करता है। यह हमें पारंपरिक, रैखिक और गैर-विघटनकारी सोच से दूर रहने का संदेश देता है।

फ्रांसिस कुरियाकोस कैंब्रिज विश्वविद्यालय के कैंब्रिज डेवलपमेंट इनीशिएटिव के सलाहकार और दीपा अय्यर वहां की रिसर्च डायरेक्टर हैं।

अंतर्ध्वनि

>> एपिक्टेटस

जीवन की हर कठिनाई एक अवसर भी होती है

जीवन में आनेवाली प्रत्येक कठिनाई एक अवसर भी होती है : अपने भीतर झांकने और अपने संसाधनों को खोजने का अवसर। जब हम किसी परीक्षा से गुजरते हैं, तो हमें अपने उन संसाधनों की याद आनी चाहिए, जिन्हें हम भुला बैठे थे। दूरदर्शी व्यक्ति दुर्घटना से परे देखते हैं और उसका उचित इस्तेमाल करने की आदत बनाते हैं। दुर्घटना हो जाने पर दिशाहीन होकर प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं है : उस वक्त अपने भीतर झांकना और यह पूछना न भूलें कि उससे निपटने के कौन-से संसाधन आपके पास हैं। आपके पास ऐसी शक्तियां हैं, जि न का आभास, हो सकता है, आपको न हो।

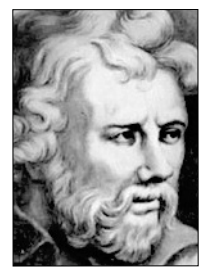

उन शक्तियों को जगाएं। उनका भरपूर इस्तेमाल करें। अगर दर्द या कमजोरी से मुकाबला है, तो ऊर्जस्विता दिखाएं। जैसे-जैसे समय बीतता है और प्रत्येक घटना के सामने उपयुक्त आंतरिक संसाधन का प्रयोग करने की आपकी आदत बनती जाती है, आप अप्रिय घटनाओं का मुकाबला करने में अधिकाधिक सक्षम होते जाते हैं। उसके बाद किसी भी घटना के लिए यह संभव न होगा कि वह आपको बहा ले जाए।

जो क्षण आपके सामने है, उसकी देखभाल करें। उसकी बारीकियों में अपने आपको डुबा दीजिए। जीवन क्षणों को मिला कर बनता है। अतः आप अपने को जिस क्षण में पा रहे हैं, उसे पूरी तरह से आबाद करें। तटस्थ दर्शक न बने रहें। अपना सर्वोत्तम पेश करें। नियति के साथ अपनी साझेदारी का सम्मान करें। जहां तक जीने की कला का सवाल है, यह सीधे आपके जीवन से ताल्लुक रखता है, इसलिए प्रतिक्षण सावधान रहना होगा। अधीर होने से कोई लाभ नहीं है। कोई भी बड़ी चीज अचानक नहीं तैयार होती, उसमें समय लगता है।

-प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक

परंपरा के नाम पर

कांग्रेस और संघ परिवार, दोनों राजनीतिक लाभ के लिए सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के खिलाफ हिंसक आंदोलन को तूल दे रहे हैं। कांग्रेस और भाजपा में इस बात की होड़ लगी है कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की अवहेलना कौन अधिक करती है।

सबरीमाला मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुना दिया। मामले पर पुनर्विचार करने की याचिकाओं पर वह खुली अदालत में आगामी 22 जनवरी को ही सुनवाई करेगा। तब तक के लिए पिछला फैसला ही जारी रहेगा। फिर क्या था? हिंदू धर्म के स्वयंभू रक्षक ट्विटर और सोशल मीडिया पर टूट पड़े। उन्होंने कहा कि नारीवादियों के खिलाफ उनकी जंग दो महीनों तक चलेगी। अयप्पा धर्म सेना के अध्यक्ष राहुल ईश्वर ने कुछ महीने पहले यह कहकर चौंका दिया था कि अगर एक भी महिला मंदिर में घुस जाएगी, तो उनके चेले अपना खून बहाकर मंदिर को अपवित्र कर उसे बंद करवा देंगे। मंदिर की पवित्रता को महिलाओं से बचाने वाले खुद मंदिर को अपवित्र बनाने की धमकी दे बैठे। अपने ही धर्म का पालन करने वाली महिलाओं के प्रति इतनी हिंसात्मक घृणा क्यों?

यह स्पष्ट होता जा रहा है कि कांग्रेस और संघ परिवार, दोनों राजनीतिक लाभ के लिए महिला-प्रवेश के खिलाफ हिंसात्मक आंदोलन को तूल दे रहे हैं। समाज का बड़ा हिस्सा पुरुष प्रधानता की सोच से इस हद तक प्रभावित है कि परंपरा और धर्म की रक्षा के नाम पर वह केवल उनके मंदिर प्रवेश के विरोध में जुट ही नहीं गया है, बल्कि उनके खिलाफ हिंसात्मक धमकी और शर्मनाक भाषा का इस्तेमाल करने में घिनौनी संतुष्टि प्राप्त कर रहा है।

असमान समुदायों को हमेशा परंपरा और धर्म के नाम पर असमान रखने की कोशिश हुई है राजा राममोहन राय ने, जिनकी आंखों के सामने उनकी भाभी को उनके भाई के शव के साथ जलाया गया था, सती प्रथा के खिलाफ लंबा संघर्ष किया। बाल विवाह समाप्त करने

सुभाषिनी सहगल अली

के लिए जब कई प्रगतिशील भारतीयों के समर्थन के साथ अंग्रेज सरकार कानून बना रही थी, तब तिलक जैसे राष्ट्रवादी नेता ने कहा, 'हम नहीं चाहेंगे कि सरकार हमारी सामाजिक परंपराओं और जीवन शैली को किसी तरह से नियंत्रित करे, भले ही सरकार की वह कार्यवाही कितनी ही परोपकारी और उचित क्यों न हो!' हिंदू महिलाओं को समान अधिकार देने के डॉ. आंबेडकर के अथक प्रयासों का कितना जबर्दस्त विरोध परंपराओं के नाम पर हुआ और यह अधिकार उन्हें कितने धीरे-धीरे, किस्तों में ही मिल पाए, यह किसी से छिपा नहीं है।

इस तरह के विरोध का सामना दुनिया के तमाम हिस्सों में, तमाम धर्मों की महिलाओं को करना पड़ा है। आज भी बोहरा समाज बच्चियों के खतने की बर्बर रीति को त्यागने के लिए तैयार नहीं है। जबकि इसको समाप्त करने के लिए बोहरा महिलाओं ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। वोट पाने के अधिकार के लिए जब इंग्लैंड और अमेरिका की महिलाओं ने सड़कों पर प्रदर्शन किया, तो पुरुषों की टोलियों ने भद्दी गालियों और जूते-लात के साथ उन पर वार किया। सऊदी अरब की महिलाएं जब गाड़ी चलाने के अधिकार के लिए मुहिम चला रही थीं, तो वहां के धार्मिक गुरुओं ने कहा कि अगर उनकी बात मान ली गईं, तो महिलाएं अपनी शुचिता ही खो डालेंगी। बहुत बड़ी कीमत चुकाकर महिलाओं ने कुछ अपूर्ण अधिकार पाए हैं, कुछ न्यायोचित कानून बनवाए हैं। कानून बनने के बाद भी समाज की मानसिकता में परिवर्तन सतही स्तर पर ही हुआ है। अगर कानून की शरण से महिलाओं को वंचित कर दिया जाए, तो बहुत जल्दी वे फिर सदियों पुराने अत्याचार और अनाचार की शिकार बन जाएंगी।

आज हमारे देश के दो बड़े राजनीतिक दलों में इस बात की होड़ लगी है कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की अवहेलना कौन अधिक करती है। यह कहकर कि 'धार्मिक मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा', वे महिलाओं को केवल असमान और अधिकार विहीन बनाने की दिशा में ही नहीं धकेल रहे, बल्कि असमान समाज को समान बनाने का प्रयास करने वाले संविधान को ही जोखिम में डाल रहे हैं।

मंजिलें और भी हैं

>> मालावथ पूर्णा

आदिवासी लड़की जब शिखर पर पहुंचती है

मेरा जन्म तेलंगाना के निजामाबाद जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। मैं आदिवासी जनजाति से ताल्लुक रखती हूं। मेरे मां-बाप अनपढ़ हैं और उन्होंने खेतों में मजदूरी करके मुझे पाला है। तमाम मुश्किलों के बावजूद उन्होंने मुझे स्कूल जाने से कभी नहीं रोका। मैं गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ी हूं। मैं न सिर्फ पढ़ाई में तेज थी, बल्कि दूसरी गतिविधियों में भी आगे रहने की कोशिश करती थी। मैं आठवीं कक्षा में थी, जब एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी का हमारे स्कूल में दौरा था। वह एडवेंचर स्पोर्ट्स से संबंधित एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए योग्य छात्रों का चुनाव करने आए थे। मेरी खुशकिस्मती थी कि मुझे उस कार्यक्रम के लिए चयनित कुल डेढ़ सौ छात्र-छात्राओं के समूह का हिस्सा बनने का अवसर प्राप्त हुआ। इस बड़े समूह में से बीस लोगों का चयन करके उन्हें दार्जीलिंग के प्रतिष्ठित पर्वतारोहण इंस्टीट्यूट में भेजा गया। फिर इसमें से भी मात्र नौ छात्रों को भारत-चीन बॉर्डर पर अभ्यास के लिए भेजा गया।

मेरा अगला लक्ष्य किलिमंजारो है, पढ़ाई के साथ-साथ वहां जाने की मेरी तैयारियां चल रही हैं।

वहां से लौटने के बाद मात्र दो लोगों को एवरेस्ट अभियान के लिए चुना गया। मेरी मेहनत ही थी कि मैं छोटे होते गए प्रत्येक समूह का हिस्सा बनी रही।

2014 में मेरी उम्र मात्र तेरह साल ग्यारह महीने थी, जबकि आनंद कुमार (मेरा साथी) सोलह साल का था। हमें नेपाली गाइडों का साथ मिला और हमने तिब्बती दिशा की ओर से 52 दिनों में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी फतह कर दी। जहां पहुंचने की कोशिश में सैकड़ों वयस्क लोगों ने अपनी जानें गंवा दी हों, उस ऊंचाई पर खड़े होकर तिरंगा फहराने की खुशी बयान नहीं की जा सकती। चढ़ाई के दौरान मैंने हर दिन उल्टियां की, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। पर्वत का आखिरी छोर दिखते ही मैं उसकी ओर दौड़ने लगी थी, क्योंकि उस वक्त मैं अपना राष्ट्रध्वज फहराने का जरा-सा भी इंतजार नहीं कर सकती थी। चोटी पर पहुंचकर जब मैंने नीचे चारों ओर की दुनिया देखी, तो बहुत बड़ी महसूस होने वाली यह दुनिया बहुत छोटी दिखने लगी। मैं एवरेस्ट फतह करने वाली भारत की सबसे कम और दुनिया की दूसरी सबसे कम उम्र की शख्सियत बन चुकी थी। अगर मेरा अभियान सिर्फ एक महीने पहले शुरू होता, तो मैं जॉर्डन रोमेरो का कीर्तिमान पीछे छोड़कर इस कारनामे को अंजाम देने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बन जाती।

मेरी कई सहेलियों की शादी हो चुकी है। मैं जब उनके मां-बाप से पूछती हूं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उनका जवाब होता है कि उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वे आगे उनकी परवरिश कर सकें। पर्वतारोही बनने से पहले मेरी जिंदगी में भी अवसरों का टोटा रहा है। मैं उस समाज से आती हूं, जहां करीब एक चौथाई लड़कियों का वजन सामान्य से कम रहता है। कुपोषण के अलावा यहां की साक्षरता दर भी राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है। इन परिस्थितियों के बीच पली-बढ़ी मेरी जैसी किसी आदिवासी लड़की का यह मुकाम निश्चित रूप से इलाके के दूसरे लोगों को प्रेरणा से भर देता है और मुझे यह जरिया बनकर बहुत खुशी है। यही वजह है कि मेरे जीवन पर एक फिल्म बनी है। मैं मानती हूं कि लड़कियां कुछ भी हासिल कर सकती हैं। मेरा अगला लक्ष्य किलिमंजारो है, लिहाजा पढ़ाई के साथ-साथ वहां जाने की मेरी तैयारियां चल रही हैं।

-विभिन्न साक्षात्कारों पर आधारित।

खुली खिड़की

भारतीय सुपरकंप्यूटर

सुपरकंप्यूटर उन कंप्यूटरों को कहा जाता है, जो बड़े-बड़े परिकलन और अति सूक्ष्म गणनाएं तीव्रता से कर सकते हैं। ये एक सेकंड में एक अरब गणनाएं कर सकते हैं। दुनिया के शीर्ष पांच सौ सुपरकंप्यूटरों में भारत के मात्र चार सुपरकंप्यूटर शामिल हैं। इस सूची में चीन के सर्वाधिक 228 सुपरकंप्यूटरों के नाम हैं।

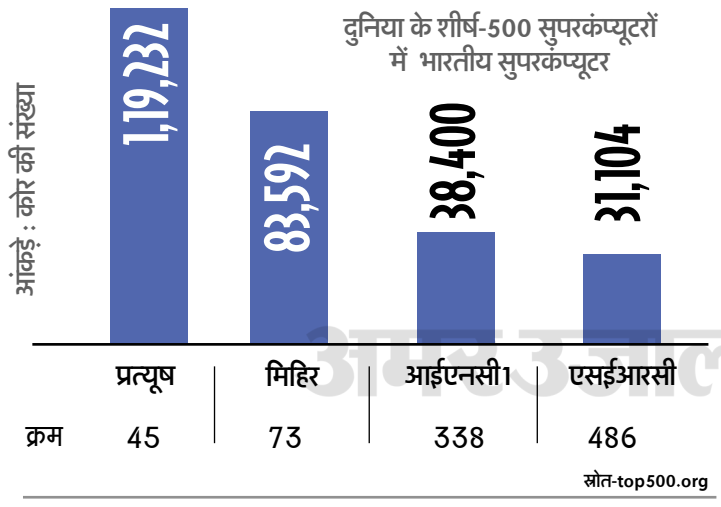

संगठन का महत्व

स्वामी विवेकानंद धर्म प्रचार करते हुए एक रियासत में पहुंचे। उस रियासत का जागीरदार लोगों का उत्पीड़न करता था। स्वामी जी का प्रवचन समाप्त होने के बाद कुछ व्यक्ति अपना यही दुख व्यक्त करने उनके पास पहुंचे। उन्होंने स्वामी जी से कहा, हम धर्म के अनुसार सादा जीवन जीते हैं, लेकिन जागीरदार के लठैत हमें चैन से भगवान की भक्ति और परिवार का पालन नहीं करने देते। ऐसे में, हमें क्या करना चाहिए? स्वामी जी ने पूछा, क्या जागीरदार पड़ोस के जागीरदार से भी झगड़ा करता है? उन लोगों ने जवाब में कहा कि पड़ोस का जागीरदार ज्यादा शक्तिशाली है, इसलिए हमारा जागीरदार उससे डरता है। स्वामी जी ने कहा, यही तो प्रकृति का नियम है। शिकारी हिरण और अन्य कमजोर प्राणियों का ही शिकार करता है। मछुआरा निरीह मछली को ही जाल में फंसाता है। कुछ अंधविश्वासी देवता के सामने निरीह बकरे की ही बलि देते हैं। क्या कभी आपने किसी को शेर की बलि देते देखा है? उपस्थित लोगों ने इनकार में सिर हिलाया। कुछ क्षण रुककर स्वामी जी ने कहा, आप सब भगवान की भक्ति के साथ-साथ संगठित होकर शक्ति का संचय करें। जागीरदार का कारिंदा धमकी देने आए, तो इकट्ठा होकर उसका मुकाबला करें। स्वामी जी की सलाह पर ग्रामीण संगठित होने लगे, तो जागीरदार के होश ठिकाने आ गए।

सत्संग

-संकलित

हरियाली और रास्ता

रमेश, महेश और सोने के सिक्के

एक लालची व्यक्ति की कहानी, जिसने अपने बेहद करीबी दोस्त से भी दगा किया।

रमेश और महेश बेहद करीबी दोस्त थे। एक बार रमेश कुछ सामान लेकर दुबई से लौट रहा था। टैक्सी न मिलने पर वह पैदल ही महेश के घर जा रहा था, जो पास में ही था। रास्ते में रमेश का एक बैग गिर गया, जिसमें सोने के कुछ सिक्के थे। पर उसे पता नहीं चला। महेश के घर पहुंचने पर बैग खोने का पता चला, तो रमेश और महेश ने सड़क पर काफी ढूंढा, पर बैग नहीं मिला। कुछ देर बाद महेश की लड़की उसी रास्ते से लौट रही थी। उसे सड़क पर एक बैग मिला, जिसमें सोने के तीस सिक्के थे। घर पहुंच कर उसने पिता को बताया, तो उसने रमेश को खबर कर दी। कुछ ही देर में रमेश आया। पर वह बेहद लालची था। वह बोला, मेरे बैग में चालीस सिक्के थे, पर इसमें केवल तीस ही हैं। बाकी के दस सिक्के कहां हैं? महेश और उसकी बेटी कहते रहे कि बैग में तीस ही सिक्के मिले, पर रमेश ने पुलिस में रपट लिखा दी। अदालत में उसने बताया कि मैं जब हवाई अड्डे से लौट रहा था, तो मेरा बैग रास्ते में गिर गया, जिसमें सोने के चालीस सिक्के थे। इन दोनों ने मेरे दस सिक्के चुरा लिए। वकील ने महेश की बेटी को कठघरे में बुलाया। बेटी बोली, मुझे यह बैग सड़क पर पड़ा मिला, तो मैं खुश हो गई थी। लेकिन घर जाकर मुझे पता चला कि बैग रमेश चाचा का है, तो हमने तुरंत उनको खबर की। हमें पता नहीं था कि सच बोलने की हमें सजा मिलेगी। जज साहब पूरी बात समझ गए। उन्होंने वह बैग महेश को दिया और कहा, आपकी बेटी की बातों से साफ है कि जो बैग उसे मिला, वह रमेश का नहीं था। जब तक तीस सिक्के खोने वाला कोई आदमी शिकायत दर्ज नहीं कराता, तब तक इसे आप रखिए। रमेश यह सुन सन्न रह गया। उसने स्वीकारा कि वह झूठ बोल रहा था, पर तब तक देर हो चुकी थी।

अक्सर हम लालच के चलते असली दौलत गंवा देते हैं।